निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 942) पटना वृहस्पतिवार 6 अगस्त 2026

मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
5 अगस्त 2026

सं० IV/M[1]-1-02/2026/4871—निबंधन अधिनियम, 1908 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–69 एवं धारा–78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–

i. यह नियमावली ''बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2026'' कहलाएगी।

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

iii. यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. बिहार निबंधन नियमावली, 2026 के नियम–23 (5) का प्रतिस्थापन।– ''75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को भी अधिनियम की धारा 38(1)(a) के अंतर्गत शारीरिक दुर्बलता वाले व्यक्ति के रूप में शामिल किया जाएगा''।

3. बिहार निबंधन नियमावली, 2026 के परिशिष्ट–ई की क्रम संख्या–01 का विवरण का प्रतिस्थापन।– ''75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए''।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,ह0/–
नवीन कुमार,
सरकार के सचिव।

5 अगस्त 2026

No. IV/M[1]-1-02/2026/4871 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,ह0/–
नवीन कुमार,
सरकार के सचिव।

The 5th August 2026

No. IV/M1 -1-02/2026/4871—In exercise of the powers conferred by Section 69 and Section 78 of the Registration Act, 1908 (as amended from time to time) the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar make following Rules:

1. Short Title, Extent & Commencement:-

i. These rules may be called the "Bihar Registration (Amendment) Rules, 2026".

ii. It shall extend to the whole of the State of Bihar.

iii. It shall come into force with effect from the date of notification.

2. Substitution of Rule 23(5) of the Bihar Registration Rules 2026. "A Person of the age of 75 years or above will also be included as a person with bodily infirmity under Section 38(1)(a) of the Act".

3. Substitution of the statement at serial number 01 of Appendix-E of the Bihar Registration Rules, 2026. "For persons 75 years or above in age.''

By the Order of the Governor of Bihar,
Navin Kumar,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 942-571+500-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in